तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	नवदीप सिंह बनाम स्टेट प्र.सं. 353/2025 वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 RTA	
25/8/25	वादी नवदीप सिंह जरिये अधिवक्ता वाद पेश कर याचित किया गया है कि चक 16 LLW-A खाता सं. 85/106 में वादी का नाम मनदीप सिंह उर्फ नवजोत सिंह पुत्र सुखदेव सिंह दर्ज है तथा जाति रामदासिया चमार अंकित है। तथा एक अन्य खाता चक 16 LLW-A के खाता सं. 66/107 जिसमें वादी का नाम मनदीप सिंह उर्फ नवजोत सिंह पुत्र सुखदेव सिंह जाति मेघवाल दर्ज है। एक अन्य खाता चक 3 JRK खाता सं. 89/91 जिसमें वादी का नाम मनदीप सिंह उर्फ नवजोत सिंह पुत्र सुखदेव सिंह जाति रामदासिया दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त तीनों खातों में वादी का नाम गलत अंकित है जबकि वादी का सही नाम नवदीप सिंह दर्ज किया जावे व चक 16 LLW-A खाता सं. 66/107 में वादी की जाति रामदासिया अंकित कर दुरुस्ती की जावे। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया व तहसीलदार हनुमानगढ से रिपोर्ट प्राप्त की गई। तहसील पत्रांक LR/2025/2845 दिनांक 31/7/2025 द्वारा अवगत करवाया गया है कि जरिये डिक्री इंतकाल वादी का नाम दर्ज किया गया है जबकि वादी के दस्तावेजों आधार कार्ड आदि में नवदीप सिंह दर्ज है। राशन कार्ड में मनदीप सिंह दर्ज है।	

सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी हनुमानगढ

पत्रावली का अवलोकन किया गया व बहस अधिवक्ता वादी पक्ष सुनी गई। वादी ने अपने वादपत्र के समर्थन में आधार कार्ड, Unique Disability iD कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, Pan Card, शपथपत्र गुरनाम सिंह पुत्र गुरबक्स जाति रामदासिया निवासी चिश्तियां, तस्दीक रिपोर्ट प्रशासक ग्राम पंचायत हिरणावाली, तस्दीक रिपोर्ट प्रशासक ग्राम पंचायत लोंगवाला पेश की जिसमें मनदीप सिंह उर्फ नवजोत सिंह व नवदीप सिंह एक ही व्यक्ति के नाम होने की पुष्टि होती है।

अतः वाद पत्र वादी स्वीकार किया जाता है तथा चक 16LLWA खाता सं. 85/106, चक 16LLW खाता सं. 66/107 व चक 3JRK खाता सं. 89/91 में दर्ज खातेदार मनदीप सिंह उर्फ नवजोत सिंह की जगह नवदीप सिंह दर्ज रिकॉर्ड कर वादी का नाम दुरुस्त किया जावे। खाता सं. 66/107 चक 16LLW-A में वादी की जाति मेघवाल की जगह रामदासिया दर्ज की जावे। शेष प्रविष्टियां यथावत रहे। आदेश सुनाया जाकर पत्रावली नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर की जाती है।

(हस्ताक्षर)

सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी हनुमानगढ़